

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी-2/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजिडेंसी क्षेत्र, जयपुर

क्रमांक एफ 7 (2)(7) रा.छा./सान्याअवि/15/ 32382

जयपुर, दिनांक 21-9-2015

आदेश

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ 7 (2) (7) रा.छा./सान्याअवि/15/32382 दिनांक 28.05.2015 के द्वारा राजकीय एवं अनुदानित छात्रावास संचालन नियम, 2012 के नियम 27 के अन्तर्गत छात्रावासों की कुल स्वीकृत क्षमता की सीटों तक उसी श्रेणी के अन्य छात्रावासों में आवश्यकतानुसार सीटों में कमी/वृद्धि करने के राज्य सरकार के अनुमोदन अनुसार निम्नानुसार स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है:-

क्र.स.	नाम छात्रावास	श्रेणी	स्वीकृत क्षमता	प्रस्तावित क्षमता		
				कमी	वृद्धि	योग
जिला-बुन्दी						
1	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, केशोरायपाटन	एस.सी.	80	30	0	50
		योग	80	30	0	50
जिला-जोधपुर						
2	राजकीय सावित्री बाई फूले छात्रावास, पीपाडशहर	एस.सी.	50	10	0	40
3	राजकीय सावित्री बाई फूले छात्रावास, नागोरी गट	एस.सी.	50	0	10	60
4	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, भोपालगढ़	एस.सी.	75	25	0	50
5	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, लूणी	एस.सी.	50	0	10	60
6	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, बालेसर	एस.सी.	60	0	15	75
7	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, सावलाकला	एस.सी.	60	15	0	45
8	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, चामु	एस.सी.	25	0	15	40
		योग	370	50	50	370
जिला-जयपुर ग्रामीण						
9	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, दूद	एस.सी.	50	10	0	40
10	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, पावटा	एस.सी.	35	0	15	50
11	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, गोविन्दगढ़	एस.सी.	25	0	25	50
		योग	110	10	40	140
जिला-जयपुर शहर						
12	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, लदाना	एस.सी.	35	0	10	45
13	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, जालुपुरा	एस.सी.	40	10	0	30
		योग	75	10	10	75
जिला-नागौर						
14	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, मकराना	एस.सी.	50	10	0	40
15	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, गच्छीपुरा	एस.सी.	25	0	10	35
		योग	75	10	10	75
		महायोग	785	110	110	785


M 218-11

(अम्बरीष कुमार)

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न को प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. जिला कलक्टर,
5. निजी सचिव, वित्तीय सलाहकार, मुख्यावास।
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद,
7. उप निदेशक / सहायक निदेशक / जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,
8. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, मुख्यावास को भेजकर लेख है कि वे उक्त आदेश को संबंधित जिलाधिकारियों को ई.मेल. कराते हुये आदेश में उल्लेखित छात्रावास की स्वीकृत क्षमता के परिवर्तन को छात्रावास की सूची में भी सम्मिलित करावें।
9. आदेश पत्रावली।


24.8.15
अतिरिक्त निदेशक
(अनु.जाति / जनजाति कल्याण)

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी-3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेंसी क्षेत्र, जयपुर

क्रमांक: एफ 7 (2)(7) रा.छा./सान्याअवि/15/ 568-54

जयपुर, दिनांक: 21-5-2015

आदेश

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ 7 (2) (7) रा.छा./सान्याअवि/15/32382 दिनांक 28.05.2015 के द्वारा राजकीय एवं अनुदानित छात्रावास संचालन नियम, 2012 के नियम 27 के अन्तर्गत छात्रावासों की कुल स्वीकृत क्षमता की सीटों तक उसी श्रेणी के अन्य छात्रावासों में आवश्यकतानुसार सीटों में कमी/वृद्धि करने के राज्य सरकार के अनुमोदन अनुसार निम्नानुसार स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है:-

क्र.सं.	नाम छात्रावास	श्रेणी	स्वीकृत क्षमता	प्रस्तावित क्षमता		
				कमी	वृद्धि	योग
जिला-अलवर						
1.	राजकीय देवनारायण बालिका छात्रावास, अलवर	एस.बी.सी.	50	10	0	40
2.	राजकीय देवनारायण बालक छात्रावास, राजगढ़	एस.बी.सी.	50	0	10	60
योग			100	10	10	100
महायोग			100	10	10	100

(अम्बरीष कुमार)

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

जयपुर, दिनांक: 21-5-2015

क्रमांक: एफ 7 (2)(7) रा.छा./सान्याअवि/15/ 568-54-21

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न को प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. जिला कलक्टर, अलवर।
5. निजी सचिव, वित्तीय सलाहकार, मुख्यावास।
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, अलवर।
7. सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, अलवर।
8. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, मुख्यावास को भेजकर लेख है कि वे उक्त आदेश को संबंधित जिलाधिकारी, अलवर को ई.मेल. कराते हुये आदेश में उल्लेखित छात्रावास की स्वीकृत क्षमता के परिवर्तन को छात्रावास की सूची में भी सम्मिलित करावें।
9. आदेश पत्रावली।

21.5.15

अतिरिक्त निदेशक

(अनु.जाति/जनजाति कल्याण)

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी-2/1, अम्बेडकर पवन, राजस्थान राजीवजी भवन, जयपुर

क्रमांक एफ 7 (2)(7) रा.छा./सान्याअवि/15/

जयपुर, दिनांक 21.8.2015

आदेश

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ 7 (2) (7) रा.छा./सान्याअवि/15/32382 दिनांक 28.05.2015 के द्वारा राजकीय एवं अनुदानित छात्रावास संचालन नियम, 2012 के नियम 27 के अन्तर्गत छात्रावासों की कुल स्वीकृत क्षमता की सीटों तक उसी श्रेणी के अन्य छात्रावासों में आवश्यकतानुसार सीटों में कमी/वृद्धि करने के राज्य सरकार के अनुमोदन अनुसार निम्नानुसार स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है:-

क्र.स.	नाम छात्रावास	श्रेणी	स्वीकृत क्षमता	प्रस्तावित क्षमता		
				कमी	वृद्धि	योग
जिला-चित्तौड़गढ़						
1	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, राशमी	ओबीसी	50	10	0	40
		योग	50	10	0	40
जिला-बून्दी						
2	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, हिण्डौली	ओबीसी	60	0	10	70
		योग	60	0	10	70
		महायोग	110	10	10	110

(अम्बरीष कुमार)

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

जयपुर, दिनांक 21-8-2015

क्रमांक: एफ 7 (2)(7) रा.छा./सान्याअवि/15/ 50926-37

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न को प्रेषित है :-

- विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़/बून्दी।
- निजी सचिव, वित्तीय सलाहकार, मुख्यावास।
- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, चित्तौड़गढ़/बून्दी।
- सहायक निदेशक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग चित्तौड़गढ़/बून्दी।
- एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, मुख्यावास को भेजकर लेख है कि वे उक्त आदेश को संबंधित जिलाधिकारियों को ई.मेल. कराते हुये आदेश में उल्लेखित छात्रावास की स्वीकृत क्षमता के परिवर्तन को छात्रावास की सूची में भी सम्मिलित करावें।
- आदेश पत्रावली।

21.8.2015

अतिरिक्त निदेशक

(अनु.जाति/जनजाति कल्याण)